

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैद्धन
जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

(साई कालेज के पास धोटी वार्ड क्रमांक 38) E-Mail : gmmprrdawaihan@rediffmail.com

पत्र क्र. 2203 / तक. / वन / 2023
 प्रति,

बैद्धन, दिनांक : 05.02.2024

वन मण्डल अधिकारी महोदय
 वन मण्डल सिंगरौली
 जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. बैद्धन सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ:- (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR034/2022-BHO/ दिनांक 21.07.2023
 (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ-5 / 1196 / 2022 / 10-11 / 3196 भोपाल दिनांक 24.07.2023 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बैद्धन विकासखण्ड के मार्ग गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग वन संरक्षण अधिनियम के तहत मार्ग निर्माण की अनुमति हेतु 5.672 हेक्टेयर भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR034/2022-BHO/ दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन करने के संबंध में वचन पत्र ।

A. Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	परिपालन की स्थिति
1	Cost of compensatory afforestation on the 5.672 ha non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एफ.सी.एस. (FCS) सेन्टर 21/1 III Floar, Jlitta Tower Mission Road, बैंगलोर के खाता नं. 1507661149667451 आई.एफ.सी. कोड का UBIN0996335 में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं राशि रु. 812200.00 कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करा दी गयी है, जिसका UTR क्रमांक CBINH23766979605 दिनांक 03.10.2023 एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण की शेष राशि 4255280 कैम्पा मद में दिनांक 19.12.2023 को जमा कर दिया गया है। जिसका UTR क्रमांक CBINH 23353388490 है। जिसका चालान एवं राशि हस्तांतरण का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है, जनरेट फार्म की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त राशि परिवेश पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है।
2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and a copy of the documents shall be submitted.	शर्त क्र. 2 के अनुपालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण गैर वन भूमि खसरा क्र. 778, 779, 925, 1088, 1089 का रकवा 5.672 हे. ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी वन

		मण्डल अधिकारी को भूमि हस्तांतरण का नामांतरण / फार्म-पी-2 / अधिपत्य सौंपने का प्रमाण पत्र / पंचनामा प्रस्तुत है।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act. 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A copy of the same shall be submitted along with Stage-I compliance report.	न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 5.672 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 and 09/05/2008 GIA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003 and No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	नेट प्रजेन्ट वेल्यू-आवेदित भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 6968562.00 कैम्पा फण्ड में ई-पोर्टल द्वारा अपर प्रधान वन संरक्षण (भू-प्रबंधन) म.प्र. के द्वारा ओ.के. कराकर राशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एफ.सी.एस. (FCS) सेन्टर 21/1 III Floar, Jlitta Tower Mission Road, बैंगलोर के खाता नं. 1507661149667451 आई. एफ.सी. कोड का UBIN0996335 में जमा कराकर पुष्टि हेतु UTR क्रमांक CBINH23766979605 दिनांक 03.10.2023 सहित चालान एवं राषि हस्तांतरण का बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	सभी राशिया कैम्पा मद में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। जनरेट फॉम की छायाप्रति संलग्न है। शर्त मान्य है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न है।
7	The State Govt. shall submit a countersigned copy of approval letter dated 03/11/2006 (by the concerned DFO after proper verification)	संलग्न है वन विभाग से संबंधित है।
8	The concerned DFO shall submit status of compliance on the conditions imposed in approval letter dated 03/11/2006.	संलग्न है।
9	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department (SFD) and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग के दोनो ओर घना जंगल है वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। भविष्य में अन्य किसी जगह पर वृक्षारोपण करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो वृक्षारोपण करने हेतु विभाग वचनवद्ध है।
10	No muck shall be disposed off in forest area.	शर्त मान्य है।
11	The User Agency shall provide suitable undr/over passes in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC, if applicable.	शर्त मान्य है। जो आवश्यक निर्देश दिये जायेगे, उसका पालन किया जायेगा।
12	The KML files of the diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	अपलोड है।
13	Violation of any of these conditions will amount	शर्त मान्य है।

	to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act. 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है।
15	In case the working permission is granted by the State Forest Departemnt, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	हॉ।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

S.No.	Conditions	Reply
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। शर्त क्रमांक 1 के पालन हेतु आवेदक संस्था वचन बद्ध है। उपरोक्त शर्त के पालन का वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-1 शर्त मान्य है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.672 ha non-forest land at Khasra No. 778, 779, 925, 1088, 1089, Village-Ramurva, Tehsil-Chitrangi, Distict-Singrauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण गैर वन भूमि खसरा क्र. 778, 779, 925, 1088, 1089 का रकवा 5.672 हे. ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी वन मण्डल अधिकारी को भूमि हस्तांतरण का नामांतरण/फार्म-पी-2/अधिपत्य सौपने का प्रमाण पत्र/पंचनामा प्रस्तुत है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	वचन पत्र संलग्न है।
4	User agency shall restrict the felling of trees to the enumerated 455 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	शर्त मान्य है।
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	शर्त मान्य है।
6	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	शर्त मान्य है।
7	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त मान्य है।
8	The User Agency shall provide alternate fuels	शर्त मान्य है।

	preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	
9	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त मान्य है।
10	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	शर्त मान्य है।
11	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त मान्य है।
12	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त मान्य है।
13	Speed regulating signages shall be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	शर्त मान्य है।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	शर्त मान्य है।
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Central Government.	शर्त मान्य है।
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त मान्य है।

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन कर दिया गया है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

W.K.
(अनूप मिश्रा)
महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैड़न
जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

पृ. क्र. 2204 /तक./वन/2023 बैड़न, दिनांक : 05.02.2024
प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधक) महोदय, वन भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

W.K.
महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैड़न
जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

शर्त क्रमांक— B (3)

व्यपवर्तित वनभूमि के बदले अतिरिक्त एन.पी.डी. की राशि जमा किये जाने का

वचन—पत्र

प्रस्तावित सिंगरौली जिले के बैड़न विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत गजराबहरा से सुलियारी कोलयार्ड मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हेक्टेयर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. F.No.6-MPR 034/2022-BHO/ दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. B (3) के पालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त एन.पी.डी. की राशि जमा करने हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है तो विभाग राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है।


महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैड़न
जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

No.41/FRA/TRIBAL/2024

SINGRAULI Dated 25/02/2024


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 5.672 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of 'General Manager, MP Rural Road Development Corporation Project Waidhan dist- Singrauli of (Village – Dhirauli & Bhalayatola) in compartment NO RF 229, RF 378, RF 336, RFF 337.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.672 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan are enclosed as annexure 1 (1----) to annexure 2.(1-4)
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of (Panchayat - Dhirauli & Bhalayatola) Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed annexure 3 (1-18) to annexure 4.(1-)
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when There was a quorum of minimum 50% of the Members of Gram Sabha presence,
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.


Collector
DISSTT-SINGRAULI



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (मोप्र०)

क्र०/२६०/प्रवा०/२०२२

चितरंगी दिनांक १६/०६/२२

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला सिंगरौली (मोप्र०)

विषय :- ग्राम रमपुरवा स्थित रकवा ५.६७२हे० प्रस्तावित भूमि वन विभाग को अंतरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - कलेक्टर महोदय का पत्र १२/अ-२०[३]/२०२२-२३ सिंगरौली दिनांक १४/०६/२२

—००००—

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम रमपुरवा स्थित रकवा ५.६७२हे० प्रस्तावित भूमि वन विभाग को अंतरण किये जाने के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार वृत्त कोरावल व वन विभाग के अधिकारी /कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका जाँच किया गया प्रस्तावित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है वन विभाग के किसी अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई पंचनामे में सभी के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

अतः मयपंचनामा प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सदर

सम्पेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

८७
उपखण्ड अधिकारी
तहसील चितरंगी
सिंगरौली (म.प्र.)
१६/०६

2. 11 w. (111,111)

- ① - ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ -> କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି
 - ② ଚାଲିଗଲା ଗାପିଲା। କାହାରେ ଦେଖାଯାଇଲା
 - ③ ପ. ଏ. ଗାପିଲା କୁଳାଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀ
 - ④ ପ. ଏ. ଜୋନ୍ସନ୍ ପରିଷକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଲା
 - ⑤ ବୀବନ୍ଦୁ ରାମାନୁଜ ଶାହିଲା ପରିଷକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଲା

Dr. Singh 15/06/22
मानव विज्ञान, एवं सामाजिक विज्ञान
पूर्व-लोकांकेश, राजस्थान (मुख्य)

Dr. Singh 15/06/22
मानव विज्ञान, एवं सामाजिक विज्ञान
पूर्व-लोकांकेश, राजस्थान (मुख्य)

Dr. Singh 15/06/22
मानव विज्ञान, एवं सामाजिक विज्ञान
पूर्व-लोकांकेश, राजस्थान (मुख्य)

Dr. Singh 15/06/22
मानव विज्ञान, एवं सामाजिक विज्ञान
पूर्व-लोकांकेश, राजस्थान (मुख्य)

四

3-10-11 (6)

SHIRPSIDE

21st (1) Q7a

~~(21)(c)(1)(b)~~

कार्यालय वनमंडल अधिकारी पूर्व सीधी वनगंडल सीधी (ग0प्र0)

क्रमांक/मार्गिता/ २२७०

प्रति

सीधी विभाग/ ११/२००६

भाडा प्रबंधक

म0प्र0 ग्रामीण राजक पिकारा प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी

(पुराना स्वराज भवन सीधी)

विषय:- प्रधान मंत्री ग्राम सचक योजना अंतर्गत छटपे गारण में ऐकेज क्रमांक 4123 के तहत स्वीकृत रजमिलान रोड से लोगरी मार्ग के उन्नयन कार्य की अनुमति दावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3336/तक./पी.आई.यू./का./440/2005 सीधी दिनांक 4.10.06।

-०-

विषयाकिंत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सीधी जिले के विकास खण्ड बैड़न के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व निर्मित रजमिलान रोड से लोगरी मार्ग उन्नयन हेतु म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 17 मई 05 से परिप्रेक्ष्य में वन विभाग से अनुमति दाइ गई है। प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यह मार्ग आरक्षित वनखण्ड वासी विरद्ध के प्रकोष्ठ क्रमांक 323, 325, 327, 328, 337, 329, 378-बी, 315 से होकर गुजरता है। वनक्षेत्र में मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी प्रभावित है। यह मार्ग वर्ष 1976 के पूर्व का निर्मित मार्ग है।

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा वर्ष 24.10.80 के पूर्व निर्मित वनक्षेत्र से गुजर रहे कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 17 मई 2005 द्वारा जारी निर्देशानुसार अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी वचन पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित मार्ग केवल पूर्व निर्मित मार्ग के अंतर्गत ही उन्नयन कार्य प्रस्तावित है।

अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर पूर्ण परीक्षणोपरान्त भारत शासन के ज्ञाप क्रमांक अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर पूर्ण परीक्षणोपरान्त भारत शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ.नं. 11-48/2000 एफ.सी. नई दिल्ली दिनांक 30 अप्रैल 2005 सहपठित म0प्र0 शासन यन विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक/5/6/2005 10-3 भोपाल दिनांक 17 मई 05 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उन्नयन हेतु प्रस्तावित रजमिलान रोड से लोगरी मार्ग 24.10.80 के पूर्व निर्मित मानकर वनक्षेत्र के अंतर्गत लम्बाई 5.00 किमी व चौड़ाई वन विभाग गाप निर्धारण के अनुसार होगी के उन्नयन कार्य की अनुमति निम्नाकिंत शर्तों के साथ दी जाती है। अधोलिखित शर्तों के पालन का पूर्ण उत्तर दायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण संभाग सीधी का होगा। शर्तों के उल्लंघन पर प्रदत्त रस्ती निरस्त मानी जायेगी एवं संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. मार्ग केवल उन्नयन कार्य की अनुमति होगी। डमरी करण के लिए राजक निर्गण के पूर्व क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा विधि अनुसार पर्यावरण रस्ती प्राप्त की जायेगी।

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा विधि अनुसार पर्यावरण रस्ती प्राप्त की जायेगी।

- 7 -

2. वनक्षेत्रों के अंदर पत्थरों को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं होगी। पूर्व से ही निर्मित सामग्री राड़कों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जायेगा।
3. उन्नयित सड़क के दोनों किनारे ईट/पत्थरों से सुदृढ़ किये जायेंगे तथा भू-क्षारण को रोकने के लिए इस कार्यालय के परामर्श अनुसार वेजीटेटिव कार्य परियोजना लागत पर किया जायेगा।
4. किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।
5. सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र का कहीं भी नहीं तोड़ा जायेगा।
7. वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे।
8. सूर्यस्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
9. मार्ग के उन्नयन कार्य के दौरान स्थानीय पौधों/वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
10. सड़क के उन्नयन कार्य के कारण वनक्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। यदि वनक्षेत्र को कोई नुकसान होता है तो क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी नुकसान की भरपाई परियोजना लागत से करेगी जो इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
11. इस उन्नयित की गई सड़क पर अथवा उन्नयन के अधीन सड़क पर स्थाई चेक पोर्ट उपयुक्त स्थानों पर शासनकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाए जायेंगे।
12. समय-समय पर स्थानीय पौधे एवं जीव जन्तुओं की संरक्षण व निकास के लिए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई भी नई शर्त लगाने के लिये अधोहस्ताक्षर कर्ता सक्षम रहेंगे।

वनमंडल अधिकारी

५८ पूर्व सीधी
२/११ सीधी दिनांक ३/१०/२००६

क्रमांक/मार्गी/ ३२९/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव मोप्र० शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल मोप्र०।
3. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा (मोप्र०)।
4. कलेक्टर जिला सीधी मोप्र०।
5. उपवनमंडल अधिकारी बैठन।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी बैठन।

वनमंडल अधिकारी

५८ पूर्व सीधी
२/११ सीधी दिनांक ३/१०/२००६



CLR No. : 11063582353

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत पूँजीप्राप्ति
एप्सरो प्र० एक (नियम ६ देखिए)
मालाप्रदेश पूँजी (पूँजीवेदेश तथा पूँजीप्राप्ति) नियम, 2020



ग्राम: सतुरा		परवारी लक्षण: गोल्ड	तहसील: विराणी	जिला: सिंगराली	का. 2023-2024
पूँजी के लक्षण	पूँजी का लक्षण	प्रत्येक पूँजी का लक्षण	पूँजी पर विळंगम तथा प्रपार	फलस्त के बारे में	1. पूँजी के तीनाई संबंधी प्राप्तियाँ
पूँजी की लक्षण मन्दार (सम्भाल लक्षण) लक्षण की लक्षण (लक्षण)	पूँजी की लक्षण (हृष्टयाल नरतर भी) पूँजी लक्षण लक्षण लक्षण)	1. पूँजीसामी का नाम ऊर्जी भाता पूँजी / पूति जा नाम तथा निवास का पूँजी 2. शातकीच पूँजी अंस निवास किया गया है 3. पूँजी घर लक्षण पूँजी (ल.	1. भूमिकल लक्षण का नाम उसकी का नाम निवास का नाम तथा निवास का पूति पूति की अंस अंस के अधिन भू	पूँजी की लक्षण (राहद कीह हो) प्रपार 1. बंधक उसकी मातापितापति मातापितापति 3. पूँजीन प्राक्तिकाधन खरीक 2. खी 3. जायद 4. अच	2. पूँजी पर तरका / बृक्ष प्रपार 2. दृष्टिव्यंक प्रपार 1. फलस्त प्रपार 2. दृष्टि प्रपार 3. अच्युत प्रपार 4. लक्षण कोहन लक्षण (1) से (4) तक में प्रविधियों में तुंगर के अद्या कोहन लक्षण (1) से (4) तक में प्रविधियों में
1	2	3	4	5	6
153640 0923 82JK15 DFKUR 9HO	9252 (S)	1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शातकीच का निवास गांजकीच लक्षण	1	7
					8
					9
					10
					11
					12

चायातल्य कलेक्टर के प्रकाशन क्र. 0012-अ-203/2022-23,
 अद्योदि, 2006/2022 के अनुतार पूँजीप्राप्ति अद्योदि।
 न.प्रदेश शासन






CLR No. : 11083582356

पद्धतिश कल्प्यत्रीकृत पू-अग्निलेख

୪୩

મધ્યપ્રવેશ પૂર્વસ્વરૂપ સહિત (પૂર્વસ્વરૂપ તથા પૂર્વઅમિલેખ) નિયમ, 2022





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत पूँ-अपिलेख

खुसरा

प्रलेप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश पूँ-राजस्व संहिता (पूँ-सर्वेक्षण तथा पूँ-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11083581971



प्राप्ति का नाम पूँजी के दोषों का वर्णन प्राप्ति का नाम प्राप्ति का नाम प्राप्ति का नाम		प्रदाता हैका: गोपन		तहसील: घिरांगी		विलास: सिंगराठी		वर्ष: 2023-2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153640 0912	7782 (S)	1.0000 हेक्टेकर ₹.0.00	(शासकीय) दन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार पूँ-अपिलेख जाहित।
82JM41 DFL1U FH0											न.प्रदेश शासन

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:21 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083581971





CLR No. : 11083582348

मध्यप्रदेश का पूर्वीकृत प्र०-अपिलेक्ष
खसरा
प्रलप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश प्र०-राजस्व संहिता (पूर्वोत्तर तथा प्र०-अपिलेक्ष) नियम, 2020



प्राप्ति समुच्चय		पठवारी स्थान: गोपन		तहसील: वितरणी				विलास: लिंगार्दी		नि: 2023-2024	
पूर्णि के पास की स्थानिक अईडी	पूर्णि के पास का प्रकार (सर्वेक्षण संस्थाकर्ता/इकाई की दस्ता में)	पूर्णि के पूर्णि के देखें तथा विवरक नीटर में)	पूर्णि के पूर्णि के देखें तथा विवरक नीटर में)	1. सैकड़ा (हेक्टेक्टर/लैंड/पौर्णि का नाम तथा निवास का पता)	2. पूर्णि उपयोग किया गया है।	प्रयोक्ता का नाम/उपयोग किया गया है।	प्रयोक्ता का नाम/उपयोग किया गया है।	पूर्णि पर विलोम तथा प्राप्ति	पूर्णि पर विलोम तथा प्राप्ति	फसल के छोर	1. पूर्णि के लिंगार्दी संबंधी पार्श्वान्तरीय 2. पूर्णि पर तरनना/तुम्ह 3. अन्य परिपुर्णियाँ 4. वर्त के दौरान कॉन्ट्रैक्ट संस्था (1) से (9) तक में परिविरास के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153640 0956	779/2 (S)	1.6720 हेक्टेक्टर	₹.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण नि. 0012/अ-20(3)/2022-23. आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार प्र०-अपिलेक्ष प्रदत्त।
82JLUJ DFLOT CHO											म.प्रदेश शासन



Page 1 of 1

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:22 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582348

Scanned with OKEN Scanner



CLR No. : 11083582358

मध्यप्रदेश काम्पूटरीकृत पूँजिलेख
खसरा
प्रस्तुत एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: रामुखा		पठवारी हस्ताक्षर: गोपला		तहसील: चितरी				ज़िला: सिंगरारी		वर्ष: 2023-2024	
पूँजि के पाण की शैली	पूँजि के पाण का प्रकार (खेतीय संचयाक /लूँड़ीक संचयाक)	भू-खण्ड संख्याक संख्याक मीटर में)	सरद्याक संख्याक की दस्ता में)	1. भूमिकारी का नाम, उसकी मात्रा /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	प्रयोक्ता पूँजि संख्याकी का अवास	पूँजि पर विलोग्यात्मक विवरान	फसल के बारे में प्रपात् 1. वधक 2. दूषितव्यक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अधीन 1. खरीद 2. खींच 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन संख्याक	फसल के अधीन संख्याक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153622 5478	1089/ 2 (S)	1.0000 हेक्टेयर	₹.0.00	(शासकीय) बन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यातत। म.प्रदेश शासन



Page 1 of 1

Digitaly signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:26 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582358

Scanned with OKEN Scanner